

2018.24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगणमय अधिकारता स्थापित।  
नहीं। का-2 व एक-एक का आकाज लगाने पर भी  
प्रार्थीगण व इनके अधिकारता धारिज नहीं हुए।  
प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अदम व जरी व अदम परकी  
में खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा